



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट में 07 अभियुक्तगण को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु0अ0सं0-03/2011 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय ईसी एक्ट/ गैंग0 एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.सुरेश 2.रमेश 3.राकेश 4.राजेश उर्फ राजेन्द्र 5.सिंहराज 6.अजय 7.प्रभूदयाल को दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000-5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी सुशील कुमार
त्रिपाठी



विवेचक-
उ0नि0 रमेश कुमार
सरोज



पैरोकार- थाना जरिया
का0 सन्तोष यादव